

सं०सं०-14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिका मगध अस्पताल,
राजेन्द्र नगर रोड नं०-2बी०
पटना- 800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18. की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र साहु पिता-स्व० महेन्द्र साहु ग्राम-भोला बाबु कालोनी पो०-बेतिया थाना नगर जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	प्रभु नाथ सिंह पिता-स्व जय नन्दन सिंह ग्राम-पो०-नेवारी थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	नागेन्द्र सिंह पिता-सत्य नारायण सिंह ग्राम+पो०-हकाम थाना-मोहम्मदपुर जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सरोज देवी पति-राम सोहावन शर्मा ग्राम-पादरी की हवेली बीजली आफिस की गली, पो०-झाउगंज, थाना-खाजेकला जिला-पटना	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	जनार्दन झा पिता-स्व० नवत लाल झा ग्राम-रमना नियर राम मंदिर पो०-रमना थाना-मीठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	महेश राय पिता-स्व० बालेश्वर राय ग्राम-अरनिया पो०+थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	चुन्नी देवी पति-जय प्रकाश ग्राम-शीशा मिल पो०-थाना-फतुहा जिला-पटना	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
8	नीरज कुमार पिता-पुलिस राम ग्राम-परसादी पो०-परसौना थाना-परसा जिला-सारण	ब्रेन टयुमर	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 11,60,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 11,60,000/- (ग्यारह लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं०.../148877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 37055550128 खाता धारक का नाम- 'मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम - पी०बी०बी०, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं०.../148877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1572(14)

पटना, दिनांक 28.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
28/8/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़- 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबलु पासवान पिता-पिताम्बर पासवान ग्राम-रोहुआ पूर्वी पो०-रोहुआ थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर सीआरनं०-2017067828142	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत।
2	मनोज राय पिता-चन्द्रेश्वर राय ग्राम-पो०-हटवरीया थाना पीपरा जिला सुपौल सीआरनं०-201801143771	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत।
3	अनिकेत कुमार पिता-प्रताप सहनी ग्राम-पो०-रघई थाना-शिवाय पट्टी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-201804379271	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	पारो देवी पति-राजकुमार राम ग्राम-पटुआहा वार्ड नं०-3 पो० पटुआहा थाना-जिला-सहरसा सीआरनं०-201706263536	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,25,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,25,000/- (नौ लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 148879 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 148879 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1563(14)

पटना, दिनांक 28.8.18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/18
निदेशक, प्रमुख
21/8/18